

मनोज कुमार बि०प्र०से०
उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, पूर्णियाँ (बिहार)



Manoj Kumar, B.A.S
Deputy Development Commissioner
-Cum-Chief Executive Officer
Zila Parishad, Purnea (Bihar)

मोबाईल नं०-9431818379 दरमाष-06454-242229 / E-mail ID- ddc-purnea-bih@nic.in

-: सूचना :-

उप सचिव, शिक्षा विभाग बिहार पटना का ज्ञापांक-11/नियोजन 02-01/2019 930, पटना, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में छटा चारण माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन, 2019 का नियोजन निम्नलिखित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार होगा :-

कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव के कारण अभ्यर्थियों की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए कॉउन्सिलिंग उपरान्त नियोजन-पत्र निर्गत करने का कार्यक्रम निम्न प्रकार से सम्पादित किया जायेगा :-

01	1. उच्च माध्यमिक सभी विषय। 2. माध्यमिक विषय में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं संस्कृत।	दिनांक-07.08.2020
02	1. माध्यमिक विषय में गणित, विज्ञान एवं समाजिक विज्ञान।	दिनांक-08.08.2020

कॉउन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थी को प्रातः 11.00 बजे से 12.30 अप० के बीच तक कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि एवं अवधि के बाद उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को दावा रद्द हो जायेगा।

कॉउन्सिलिंग हेतु उपरोक्त तिथि को नीचे लिखे कागजातों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा।

साथ लानेवाले प्रमाण-पत्रों एवं अन्य कागजातों की सूची :-

1. सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक का प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण-पत्र एवं STET का प्रवेश-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र की छायाप्रति- 01 सेट में (स्व अभिप्रमाणित)।
2. अंतिम योग्यता वाले महाविद्यालय का परित्याग प्रमाण-पत्र (सी०एल०सी०)।
3. जाति, EWS, निवास, एवं विकलांगता प्रमाण-पत्र।
4. स्वतंत्रता सेनानी एवं वंशावली प्रमाण-पत्र।
5. दो पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो जिसमें अभ्यर्थी का नाम एवं जन्मतिथि अंकित हो।
6. आवेदन-पत्र का प्राप्त रसीद।
7. अभ्यर्थी का फोटोयुक्त परिचय-पत्र-यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आदि।

नोट :-

1. STET का मूल प्रमाण-पत्र को नियोजन इकाई सहमति-सह- विद्यालय चयन के समय जमा ले लेंगी।
2. कॉउन्सिलिंग के दरम्यान अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र लिया जायेगा कि वे किसी अन्य नियोजन इकाई में पूर्व से नियोजित नहीं हैं। साथ ही उनका शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता का प्रमाण-पत्र सही है। गलत सूचना देने पर कानूनी कार्रवाई के लिए नियोजन इकाई सक्षम होगा।
3. कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सभी अभ्यर्थी को फेस मास्क लगाना एवं छःफीट की दूरी बनाकर रखना आवश्यक होगा।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, पूर्णियाँ